



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220964
CG-DL-E-07082020-220964

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]
No. 392]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2020/श्रावण 16, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2020/SRAVANA 16, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 497 (अ).— रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय की दिनांक 13 अप्रैल, 2007, 17 जुलाई, 2008, 05 अक्तूबर, 2010 और 27 अप्रैल, 2015 की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) जो 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी है, में प्रबंध निदेशक के पद के लिए एतद्वारा निम्नलिखित भर्ती नियम बनाए जाते हैं।

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(क) ये नियम "प्रबंध निदेशक (एमडी), रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) के पद के लिए भर्ती नियम, 2020" कहलाएंगे।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) पदनाम : प्रबंध निदेशक (क्रिस)

(3) वेतनमान : 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में 2,05,400 रु.-2,24,400 रु. (केंद्रीय डीए सहित)

(4) नियुक्ति का तरीका : समाहन/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती

(5) भर्ती की पद्धति :

- (क) यह पद चयन पद्धति से भरा जाएगा।
- (ख) रेल मंत्रालय रिक्त पद को भरने हेतु चयन के लिए एक खोजबीन-सह-चयन समिति गठित करेगा। खोजबीन-सह-चयन समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और सदस्यों के रूप में सदस्य (यातायात)/रेलवे बोर्ड, सचिव/डीओपीएंडटी और सचिव/इलैक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी शामिल होंगे। खोजबीन-सह-चयन समिति चयन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाए। समिति नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार की और यदि उचित समझे तो स्टैंडबाय पैनल में एक अन्य उम्मीदवार की सिफारिश करेगी। नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (ग) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया पैनल एक वर्ष तक मान्य होगा।

(6) नियोजन की स्थिति : आवेदक, आवेदन की तारीख के साथ-साथ साक्षात्कार की तारीख को निम्न में से किसी एक में नियमित आधार पर नियोजित होना चाहिए- और न कि ठेके पर/तदर्थ आधार पर :-

- (क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) (किसी भी सीपीएसई के बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं);
 - (ख) केंद्र सरकार जिसमें संघ और अखिल भारतीय सेवाओं के सशस्त्र बल शामिल हैं;
 - (ग) ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) जहां वार्षिक टर्न ओवर 2000 करोड़ रु.* या उससे अधिक हो;
 - (घ) निजी क्षेत्र में कंपनी जहां वार्षिक टर्न ओवर 2000 करोड़ रु.* या उससे अधिक हो, सूचीबद्ध कंपनियों के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी;
- (* जिस कैलेंडर वर्ष में पद के लिए विज्ञापन दिया गया है उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लेखापरीक्षित वार्षिक टर्न ओवर को स्वीकृत सीमाओं में लागू करने पर विचार किया जाएगा)
- (ङ) सभी पात्र सेवारत रेल अधिकारियों के साथ-साथ समाहन आधार पर क्रिस में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे अधिकारियों को भी आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।

(7) अर्हता :

- (i) किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी स्नातक (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर इंजीनियरी अथवा इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।
- (ii) केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को उपरोक्त (i) में दी गई शैक्षिक अर्हताओं से छूट प्राप्त होगी बशर्ते आवेदकों को निम्नलिखित पैरा 8(i) में उल्लिखित उपयुक्त अनुभव है।

(8) अनुभव :

- (i) केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के पास प्रतिष्ठित बड़े संगठनों में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। चयन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के डिज़ाइन डेवलेपमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के कार्यान्वयन सहित व्यावसायिक अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
- (ii) सीपीएसई/एसपीसीएसई/निजी क्षेत्रों के आवेदकों के पास सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रणाली कार्यान्वयन के क्षेत्र में 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसमें पिछले 10 वर्षों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव किसी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संगठन में चीफ एक्सिक्यूटिव के रूप में होना चाहिए।

(9) पात्र वेतनमान :

- (i) केंद्र सरकार/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदक आवेदन की तारीख को भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर के पद पर नियुक्त होने चाहिए अथवा उसके समतुल्य वेतनमान पर हों।
- (ii) संघ के सशस्त्र बलों के आवेदक आवेदन की तारीख को थलसेना में लेफ्टिनेंट जनरल अथवा नौसेना/वायुसेना में समकक्ष पद पर कार्यरत होने चाहिए।
- (iii) सीपीएसई के आवेदक 62000-80000 रु./- (आईडीए- 01.01.2007 के पश्चात्) अथवा 1,50,000-3,00,000रु./- (आईडीए- 01.01.2017 के पश्चात्) अथवा उच्चतर वेतनमान पर कार्यरत होने चाहिए।
- (iv) केंद्र/राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों/सोसाइटियों से उच्च प्रशासनिक ग्रेड/वेतनमान अथवा उच्चतर ग्रेड/वेतनमान के आवेदक पात्र होंगे।
- (v) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/निजी क्षेत्रों के आवेदक, आवेदन की तारीख को बोर्ड स्तर के पद पर कार्यरत होने चाहिए।
- (vi) वे सरकारी अधिकारी, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें उनके मूल संवर्ग में समान स्तर के अधिकारियों के साथ बराबर तथा मूल संवर्ग में उनके ग्रेड/वेतनमान के आधार पर माना जाएगा।

(10) आयु-सीमा : रिक्ति सूचना की अंतिम तारीख को आंतरिक उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा अधिकतम 56 वर्ष और अन्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 55 वर्ष है।

(11) नियुक्ति की अवधि : नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष होगी अथवा जब तक अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी।

(12) कार्यकाल की अवधि का विस्तार : कार्यकाल की अवधि में विस्तार के अनुमोदन का प्राधिकार एसीसी में निहित होगा।

(13) शिथिल/आशोधन करने की शक्तियां : इन नियमों को शिथिल और/अथवा आशोधन करने का प्राधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा।

(14) टिप्पण :

- (क) आवेदकों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और संबंधित क्षेत्र में किए गए कार्य एवं प्राप्त अनुभव का विवरण विस्तार में देना होगा। उन्हें अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (ख) सरकारी सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों/सोसाइटियों के आवेदकों को उचित माध्यम से सेवा प्रमाणपत्र और कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) की सत्यापित प्रतियों सहित संगत दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) पात्रता के लिए कट ऑफ़ तारीख रिक्ति सूचना के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।

मूल नियम दिनांक 13.04.2007 के सा.का.नि. सं. 487(ई) के तहत अधिसूचित किए गए थे और दिनांक 17.07.2008 के सा.का.नि. सं. 152, दिनांक 05.10.2010 के सा.का.नि. सं. 185 तथा दिनांक 27.04.2015 के सा.का.नि. सं. 332(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

[सं. 2020/ई(ओ)II/40/6]

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

G.S.R. 497(E).— In exercise of the powers conferred on the Ministry of Railways (Railway Board), and in supersession of this Ministry's Notifications dated the 13th April 2007, the 17th July 2008, the 5th October 2010 and the 27th April 2015, the following Recruitment Rules are hereby made for the post of Managing Director, Centre for Railway Information Systems (CRIS), a society registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

(1) Short title and commencement:

- (a) These rules may be called the "Recruitment Rules for the post of Managing Director (MD), Centre for Railway Information Systems (CRIS), 2020".
- (b) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Title of the post: Managing Director, CRIS.**(3) Pay Scale:** Rs.2,05,400-2,24,400/- (with Central DA) in Level 16 of the 7th CPC Pay Matrix.**(4) Mode of appointment:** Absorption/Deputation/Direct Recruitment**(5) Method of recruitment:**

- (a) The post shall be filled by the method of selection.
- (b) The Ministry of Railways shall constitute a Search- cum- Selection Committee for conducting selection to fill up vacancy of the post. The Search-cum-Selection Committee shall comprise of Chairman, Railway Board as Chairman of the Committee and include Member (Traffic)/Railway Board, Secretary/DOP&T and Secretary/Electronics & IT as Members. The Search-cum-Selection Committee may devise their own procedure for selection. The Committee shall recommend a suitable candidate for appointment and, if considered appropriate, another candidate in the standby panel. Approval of the Appointments Committee of the Cabinet shall be required for the appointment.
- (c) The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year.

(6) Employment status: The applicant must, on the date of application, as well as on the date of interview, be employed in a regular capacity – and not in a contractual/ad-hoc capacity – in one of the followings:-

- (a) Central Public Sector Enterprise (CPSE) (including a full-time functional Director in the Board of a CPSE);
 - (b) Central Government including the Armed Forces of the Union and All India Services;
 - (c) State Public Sector Enterprise (SPSE) where the annual turnover is *Rs 2000 crore or more;
 - (d) Private Sector in company where the annual turnover is *Rs 2000 crore or more. Preference would be given to candidates from listed Companies.
- (* The average audited annual turnover of three financial years preceding the calendar year in which the post is advertised shall be considered for applying the approved limits)
- (e) All eligible serving Railway officers as also officers working as Directors in CRIS on absorption basis would be considered as internal candidates.

(7) Qualification:

- (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science or Computer Engineering or Electrical and Electronics or Electronics or Master's Degree in Computer Applications from a recognized Institution.
- (ii) Applicants from the Central Govt./Armed Forces of the Union/All India Services will be exempted from the educational qualification as per (i) above provided the applicants have the relevant experience as mentioned in Para 8 (i) below.

(8) Experience:

- (i) Applicants from Central Govt./Armed Forces of the Union/All India Services should possess adequate experience at a senior level of management in a large organization of repute. Professional experience in and exposure to IT systems including design development and implementation of IT systems would be given due weightage during selection.
- (ii) Applicants from CPSEs/SPSEs/Private Sector should possess twenty five years of experience in the area of Information Technology or System Implementation of which at least five years as the Chief Executive of an Information Technology related organization during the preceding ten years.

(9) Eligible Pay Scales:

- (i) Applicants from Central Government/All India Services should be holding a post of the level of Additional Secretary in Government of India or carrying equivalent scale of pay on the date of application.
- (ii) Applicants from the Armed Forces of the Union should be holding a post of the level of Lt. General in the Army or equivalent rank in Navy/Air Force on the date of application.
- (iii) Applicants from CPSEs should be working in the scale of pay of Rs.62,000-80,000/- (IDA – post 01.01.2007) or Rs.1,50,000-3,00,000/- (IDA post 01.01.2017) or higher.
- (iv) Applicants from Autonomous Bodies/Societies under the Central/State Government in HAG equivalent grade/pay scale or higher would be eligible.
- (v) Applicants from State Public Sector Enterprises/Private Sector should be working at a Board level position on the date of application.
- (vi) Government officers working on deputation in PSUs/ autonomous bodies etc. would be treated at par with their peers in the parent cadre and on the basis of their grade/ pay scale in the parent cadre.

(10) Age Limit: Not more than 56 years for internal candidates and 55 years for others as on the closing date of the Vacancy Notice.

(11) Period of Appointment: The period of appointment shall be 5 years or till the officer attains the age of superannuation, whichever is earlier. The age of superannuation will be 60 years.

(12) Extension of tenure: Authority to approve extension of tenure will vest in the ACC.

(13) Powers to relax/modify: Authority to relax and/or modify these Rules shall vest in the Central Government.

(14) Note:

- (a) Applicants would be required to submit applications in the prescribed format and state in detail the work done and experience gained in the relevant field. They would also be required to submit documents in support of their eligibility.
- (b) Applicants from Government Service, Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies/ Societies will be required to submit their applications through proper channel along with relevant documents including service certificate and attested copies of APARs.
- (c) Cut off date for eligibility will be the closing date for submission of applications as per the Vacancy Notice.

Original Rules were notified vide GSR No. 487(E) dated 13.04.2007 and amended vide GSR No. 152 dated 17.07.2008, GSR No. 185 dated 05.10.2010 and GSR No. 332(E) dated 27.04.2015.

[No. 2020/E(O)II/40/6]

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secy.